Add. Attachment 2.1

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः—जनपद नैनीताल में अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत जिनौली–तडी–सकदीना मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई–6.650 कि0मी0)

जनपद नैनीताल में जिनौली–तडी–सकदीना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की स्वीकृति शा0सं0 873/III(2)/08–52 (एम0एल0ए0) /08 दिनांक 02–03–09 के तहत हुई, जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत पड़ने वाली वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठन किया जा रहा है।

यह क्षेत्र एक फल, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग काफी दूर होने से स्थानीय कास्तकारों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनादेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से सकदीना, तडी, जिनौली एंव खलाड़ आदि ग्राम लाभान्वित होगे।

यह मार्ग सिमलखा सकदेना मोटर मार्ग के किमी0 2.50 पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो कर 6.650 कि0मी0 में निर्मित किया जाना है।

उक्त 6.650 कि0मी0 लम्बे 7 मी0 चौड़े मार्ग के अन्तर्गत कुल 218 वृक्ष प्रभावित होते हैं, जिनकी नियमानुसार गणना कर प्रस्ताव के साथ गणना सूची व उसका मूल्यांकन आदि संलग्न कर दिये गये हैं। मार्ग के अन्तर्गत आरक्षित वन ग्राम खलाड़ की 0.315 हैं0 भूमि, ग्राम सकदेना की 1.1445 है0 सिविल भूमि एवं ग्राम जिनोली की 0.168 है0 सिविल भूमि कुल 1.6275 हैं0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित कर निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा हरे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि हस्तान्तण हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक नियमों एवं शर्तो का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 द्वारा पालन किया जायेगा तथा प्रस्तावित वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दिये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल